नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2007

सा. का. नि. 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक इंजीनियर) भर्ती नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक इंजीनियर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक इंजीनियर) भर्ती नियम, 2004 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक इंजीनियर	26* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	7500-250-12000 रु.	चयन	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)	(10)
35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	**आवश्यक :- 1.** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ड्रिलिंग या खनन या यांत्रिकी या सिविल विद्युत इंजिनियरी या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य और **2.** आटोमोबाइल मशीन और उपस्कर की मरम्मत तथा रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव या ड्रिलिंग साजसमान के प्रचालन तथा उसके रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति** :-केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिकी) (6500-10500/- रुपये) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ड्रिलिंग/खनन/यांत्रिकी/सिविल/विद्युत इंजिनियरी/पेट्रोलियम प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा है या समतुल्य है तथा ऐसा फोरमैन (5500-9000/- रुपये) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/विद्युत/आटोमोबाइल इंजीमियरी में डिप्लोमा है । **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** :-प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा उनकी अपनी श्रेणी पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी किए जाने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के मामले पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड से संबद्ध निदेशक या उपसचिव - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 21/12/98-जी. डब्ल्यू-1]

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 297 तारीख 4 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 9th October, 2007

G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Assistant Engineer) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Assistant Engineer) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Assistant Engineer) Recruitment Rules, 2004, for the Schedule the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Engineer.	26*(2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.7500-250-12000.	Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	**Essential :** 1. Bachelor's Degree in Drilling or Mining or Mechanical or Civil or Electrical Engineering or Petroleum Technology from a recognized University or equivalent; and 2. One year's experience in repair and maintenance of Automobile machines and equipment; or One year's experience in operation and maintenance of drilling rigs. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service	No	Two years for direct recruits.

(8)
Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Fifty per cent by promotion. Fifty per cent, by direct recruitment.	**Promotion :** Senior Technical Assistant (Mechanical) (Rs. 6500—10500) of Central Ground water Board with three year's regular service in the grade possessing Diplome in Drilling/Mining/ Mechanical/Civil/Electrical Engineering/Petroleum Technology from a recognized University or equivalent and Foreman (Rs. 5500—9000) with seven year's regular service in the grade possessing Diploma in Mechanical/Electrical/ Automobile Engineering from a recognized institute/university or equivalent. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering the cases of promotion/confirmation) and consisting of :— 1. Chairman, Central Ground Water Board —Chairman 2. Member, Central Ground Water Board —Member 3. Director or Deputy Secretary concerned with Central Ground water Board in the Ministry of Water Resources. —Member 4. Director (Administration) Central Ground Water Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. 21/12/98-GW.I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published vide number G.S.R. 297, dated the 4th September, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.